

राजस्थान-सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी बृजमोहन बैरवा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 94 / 2022

बउनवान

शिवचरण, रघुवीर, बृजमोहन पुत्रगण समुन्द्रसिंह जाति अहीर निवासी बदनवास तहसील छबड़ा जिला बारों  
(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जयें तहसीलदार, छबड़ा जिला बारों

(रेस्पोजेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू-राजस्व अधिनियम, 1956

उपस्थित :- 1- श्री भंवर सिंह जादौन अभिभाषक

(अपीलांट)

2- पेरोकार सरकार

(रेस्पोजेन्ट)

निर्णय दिनांक 04.04.2022

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबड़ा के प्रकरण संख्या 860/2019 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट में पारित निर्णय दिनांक 14.11.2019 के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट को वाके ग्राम बदनवास की सरकारी भूमि किस्म सिवायचक सम्वत् 2076 में खसरा नम्बर 76 की रकबा 3 बीघा भूमि पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण करने पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 90 दिन की सिविल कारावास की सजा एवं 150/- रुपये तावान राशि से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर अपील को दिनांक 01.02.2022 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोजेन्ट को जयें नोटिस तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

**अपीलांट के अभिभाषक** ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को बिना सुने तथा बिना जवाब का मौका दिए एकपक्षीय कार्यवाही फरमाकर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है जो काबिले निरस्तनीय है। यह कि सरकारी भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। पटवारी हल्का की मिथ्या रिपोर्ट के आधार पर अपीलांट को दंडित करने में कानूनी भूल की है। यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध सामग्री का समस्त अवलोकन न कर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मात्र हल्का पटवारी की रिपोर्ट को विश्वसनीय मानकर अपीलांट को सुनवाई का मौका दिए बिना दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान दिए बिना अपीलान्ट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर अपीलांट को दंडित फरमाने में कानूनी भूल की है। अपीलांट एक गरीब काश्तकार है। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपीलांट को अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 14.11.2019 निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट को दोषमुक्त किए जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

इसके विपरीत पेरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि अपीलांटगण द्वारा सरकारी भूमि किस्म सिवायचक पर फसल सोयाबीन की बोई जाकर अतिक्रमण किया है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया जाकर तामील करवाई गई है। अपीलांटगण अधीनस्थ न्यायालय में अनुपस्थित रहे है। अपीलांटगण द्वारा गतवर्ष में भी इसी आराजी पर अतिक्रमण किया गया था, जिसको अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तावान राशि से दण्डित किया जाकर मौके पर सम्वत् 2075 में भौतिक रूप से बेदखल किया गया था। अपीलांटगण द्वारा पुनः सम्वत् 2076 में किया गया, अतिक्रमण पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी में आते है। प्रकरण में अतिक्रमित रकबा कम है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाकर, अपीलांटगण की सजा माफ की जा सकती है।

मेरे द्वारा उभयपक्षों के तर्कों पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी का नोटिस जारी किया गया। अपीलांटगण को नोटिस की तामील करवाई गयी थी। अपीलांटगण वक्त निर्णय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा में अनुपस्थित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का के बयान लिये गये है और अपीलार्थीगण को पटवारी के बयानों में जिरह का अवसर नहीं दिया गया है तथा दो स्वतंत्र गवाहों के बयान भी नहीं लिये गये है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय की तकनीकी त्रुटि होना पाया जाता है।

अतः परिणामस्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा के प्रकरण संख्या 860/2019 में अन्तर्गत एल.आर.एक्ट 1956 की धारा 91 के तहत पारित आदेश दिनांक 14.11.2019 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांटगण को उक्त आदेश से दी गई (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है कि तहसीलदार छबडा आई.एल.आर. स्तर के अधिकारी से मौके की 2 बार जॉच करावे, यदि अपीलांटगण का अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम बदनवास तहसील छबडा के खसरा नम्बर 76 की रकबा 3 बीघा भूमि किस्म सिवायचक पर कब्जा नहीं पाया जावे, तो अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा प्रकरण संख्या 860/2019 में पारित आदेश दिनांक 14.11.2019 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, छबडा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.11.2019 यथावत रहेगा।

निर्णय आज दिनांक **04.04.2022** को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया गया।

( बृजमोहन बैरवा )  
अति० जिला कलक्टर, बारों